न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम,चन्दौली।

सत्र परीक्षण संख्या-302/2020

सरकार प्रति घनश्याम गुप्ता वगैरह।

मु.अ.सं. : 55 सन् 2020
धारा-498ए,304-बी भा.द.सं.
व 3/4 डी.पी.एक्ट,
वैकल्पिक धारा-302 भा.दं.सं.
थाना : सैयदराजा,
जिला : चन्दौली ।

आ रो प

मैं, अमित कुमार यादव-I, अपर स़त्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम, चन्दौली आप अभियुक्तगण- **घनश्याम गुप्ता, शारदा देवी, अभिषेक केशरी व पुष्पा देवी** को निम्न् आरोप से आरोपित करता हूॅः-

प्रथम-यह कि वादी मनीष कुमार केशरी ने अपनी बहन मिनाक्षी केशरी की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार आप अभियुक्त अभिषेक केशरी पुत्र घनश्याम गुप्ता निवासी वार्ड नं-7 गांधीनगर कस्बा सैयदराजा जिला चन्दौली के साथ दिनांक 12 फरवरी 2018 को किया था जिसमें कुल ग्यारह लाख रू0 नकद व अन्य सामान दिया था। मिनाक्षी केशरी जब शादी में विदा होकर अपने ससुराल गयी तो आप अभियुक्तगण ने मिनाक्षी केशरी से अतिरिक्त दहेज के रूप में चार चक्का गाड़ी के लिए मिनाक्षी केशरी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध किया है जो धारा-498-ए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय-यह कि दिनांक 14.04.2020 को समय सुबह लगभग शाम 6 बजे वार्ड नं-7 गांधीनगर कस्बा सैयदराजा जिला चन्दौली में आप अभियुक्तगण ने अपने सामान्य आशय की पूर्ति में अतिरिक्त दहेज की माँग पूरा न करने पर वादी मुकदमा की बहन मिनाक्षी केशरी की हत्या कर दहेज मृत्यु कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 304-बी. भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

विकल्प में-

यह कि दिनांक 14.04.2020 को समय सुबह लगभग शाम 6 बजे वार्ड नं-7 गांधीनगर कस्बा सैयदराजा जिला चन्दौली में आप अभियुक्तगण ने अपने सामान्य आशय की पूर्ति में अतिरिक्त दहेज की माँग पूरा न करने पर वादी मुकदमा की बहन मिनाक्षी केशरी की हत्या कर दहेज मृत्यु कारित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय–यह कि उपरोक्त अवधि व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अपने सामान्य आशय की पूर्ति में वादी मुकदमा की बहन मिनाक्षी केशरी से अतिरिक्त दहेज के रूप में चार चक्का गाड़ी की माँग किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध किया है जो धारा–3/4 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं निर्देशित करता हूँ कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–02.02.2021

(अमित कुमार यादव–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोट–प्रथम,
चन्दौली।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की मॉग किया ।

दिनांक–02.02.2021

(अमित कुमार यादव–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोट–प्रथम,
चन्दौली।